LatestLaws.com

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

NSG.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 1987/माघ 1, 1908
No. 23] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 1987/MAGHA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1987

का.आ. 24(अ) :—राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 (1986 का 47) की धारा 139 की उपधारा (2) के खंड (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम—इन नियमों का संक्षिप्त नाम दंड न्यायालय और सुरक्षक न्यायालय (अधिकारिता का समायोजन) नियम, 1987 है ।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "अधिनियम" से राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 (1986 का 47) अभिप्रेत है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति के संबंध में "कमांडर" से ऐसा कमान आफिसर अभिप्रेत है जो उस यूनिट या टुकड़ी का कमान करता है जिसका वह व्यक्ति है या जिसमें वह सम्बद्ध है ;

(3) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय सुरक्षक का महानिदेशक, महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक ।

(4) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. अधिनियम के अधीन के व्यक्ति का विचारण—जहां अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और उसे ऐसे अपराध से आरोपित किया जाता है जिसके लिये वह सुरक्षक न्यायालय द्वारा

LatestLaws.com

विचारण किये जाने के लिये दायी है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का विचारण करने के लिये तब तक कार्यवाही नहीं करेगा या ऐसे न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी अपराध के लिये सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा विचारण के लिये सुपुर्दगी की दृष्टि से तब तक जांच नहीं करेगा, जब तक कि :—

(क) उसकी राय में ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायें सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा प्रस्ताव किये बिना उसे ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये; या

(ख) ऐसे प्राधिकारी द्वारा उसके लिये प्रस्ताव न किया जाये।

4. मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना—नियम 3 के खंड (क) के अधीन कार्यवाही करने से पूर्व, मजिस्ट्रेट, अभियुक्त के कमांडर को लिखित सूचना देगा और निम्नलिखित अवधि समाप्त होने तक :—

(1) निम्नलिखित क्षेत्रों में, अर्थात् :—

नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और असम के उत्तरी कछार पहाड़ी जिलों में स्थित यूनिट या टुकड़ी की कमान के कमांडर को दी गई सूचना की दशा में, तीन सप्ताह या

(2) भारत में किसी अन्य स्थान में स्थित यूनिट या टुकड़ी की कमान के किसी अन्य कमांडर को दी गई सूचना की दशा में, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से, 10 दिन तक वह :—

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 252 या धारा 255(1), (2) या धारा 256 या धारा 257 के अधीन, अभियुक्त को दोषसिद्ध या दोषमुक्त नहीं करेगा या उक्त संहिता की धारा 254 के अधीन, उसे उसकी प्रतिरक्षा के लिये सुनवाई नहीं करेगा; या

(ख) उक्त संहिता की धारा 246 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप विरचित नहीं करेगा; या

(ग) उक्त संहिता की धारा 192 के अधीन उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विचारण के लिये सुपुर्दगी आदेश नहीं करेगा; या

(घ) उक्त संहिता की धारा 192 के अधीन जांच या विचारण के लिये मामले को अंतरित नहीं करेगा।

5. मजिस्ट्रेट को सूचना देने के पश्चात् प्रक्रिया :—जहां ऊपर नियम 4 में उल्लिखित अवधि के भीतर या उसके पश्चात् किसी भी समय, मजिस्ट्रेट द्वारा उस नियम में निर्दिष्ट कोई कार्यवाही या आदेश किये जाने से पूर्व यथास्थिति, अभियुक्त का कमांडर या सक्षम प्राधिकारी मजिस्ट्रेट को सूचित करता है कि ऐसे प्राधिकारी की राय में, अभियुक्त का विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये, वहां मजिस्ट्रेट कार्यवाही को रोक देगा और यदि अभियुक्त उसकी शक्ति या नियंत्रण में है, तो वह उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 475 की उपधारा (1) में विहित कथन सहित उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को परिदत्त करेगा।

6. विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मजिस्ट्रेट को सूचना देने की प्रक्रिया —जहां नियम 3 के खंड (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को किया गया है और यथास्थिति अभियुक्त का कमांडर या सक्षम प्राधिकारी, बाद में ऐसे मजिस्ट्रेट को सूचना देता है कि ऐसे प्राधिकारी की राय में अभियुक्त का विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट, यदि वह सूचना प्राप्त होने से पूर्व, नियम 4 के अधीन कोई कार्यवाई नहीं किया है या कोई आदेश नहीं किया हो तो वह कार्यवाही को रोक देगा और यदि अभियुक्त उसकी शक्ति या नियंत्रण में है, तो वह उसी रीति से, उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 475 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उक्त उपधारा में विहित कथन सहित परिदत्त करेगा।

7. अभियुक्त के विचारण के संबंध में प्रज्ञापना :—(1) जब नियम 5 या 6 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अभियुक्त परिदत्त कर दिया जाता है, तो यथास्थिति अभियुक्त का कमाण्डर या सक्षम प्राधिकारी, मजिस्ट्रेट को सूचना करेगा कि क्या सुरक्षक न्यायालय द्वारा अभियुक्त का विचारण किया है या उसके विरुद्ध अन्य प्रभावकारी कार्यवाही की गई है या किये जाने के लिये आदेश दिया गया है।

(2) जब मजिस्ट्रेट को उपनियम (1) के अधीन सूचित कर दिया है कि अभियुक्त का विचारण नहीं किया गया है या उसके विरुद्ध अन्य प्रभावकारी कार्यवाही नहीं की गई है या किये जाने के लिये आदेश नहीं दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट इन परिस्थितियों के बारे में, राज्य सरकार को को सूचित करेगा जो केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, यह सुनिश्चित करने के लिये समुचित कदम उठाएगी कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही की जाये।

8. विचारण न्यायालय अवधारण करने के लिये केन्द्रीय सरकार का निर्देश :—पूर्वगामी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी मजिस्ट्रेट की जानकारी में यह बात आती है कि अधिनियम के अधीन का कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध किया है, जिसकी बाबत उसके समक्ष कार्यवाही संस्थित की जानी चाहिये और ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति कमाण्डर या सक्षम प्राधिकारी के सिवाय किसी और के माध्यस्थ से उपाप्त नहीं की जा सकती है, तो मजिस्ट्रेट एक लिखित सूचना द्वारा, ऐसे

LatestLaws.com

व्यक्ति के कमाण्डर को, विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये ऐसे व्यक्ति को उस प्रयोजन में नामित किये जाने वाले मजिस्ट्रेट को या तो परिदत्त करने की अपेक्षा कर सकता है, या सुरक्षा न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही को, यदि संस्थित की जा चुकी है, रोक सकेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसा न्यायालय अवधारित करने के लिये निर्देश कर सकेगा जिसके समक्ष कार्यवाही संस्थित की जानी चाहिये।

9. मजिस्ट्रेट को अभियुक्त परिदान किया जाना :— जहां इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, जिसका [illegible] राज्य में उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिये था और केन्द्रीय सरकार, नियम 8 में उल्लिखित निर्देश पर, यह विनिश्चय करती है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्थित की जानी चाहिये, वहां ऐसे व्यक्ति का कमाण्डर संबद्ध मजिस्ट्रेट को एक लिखित सूचना देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को [illegible] के अधीन उस मजिस्ट्रेट को परिदत्त करेगा।

[सं. के-16011/4/86-एन.एस.जी.]
वि.कु. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 1987

S.O. 24(E).—In exercise of the powers conferred by clause (q) of sub-section (2) of section 139 of the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title.—These rules may be called the Criminal Courts and Security Guard Courts (Adjustment of Jurisdiction) Rules, 1987.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(i) "Act" means the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986) ;

(ii) "Commander" in relation to a person subject to the Act, means the Officer Commanding the unit or detachment to which such person belongs or is attached ;

(iii) "Competent Authority" means the Director-General, Inspector-General, or a Deputy Inspector-General of the National Security Guard ;

(iv) words and expression used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Trial of person subject to the Act.—Where a person subject to the Act, is brought before a Magistrate and charged with an offence for which he is liable to be tried by a Security Guard Court, such Magistrate shall not proceed to try such person or to inquire with a view to his commitment for trial by the Court of Sessions or the High Court for any offence triable by such Court, unless,—

(a) he is of the opinion, for reasons to be recorded in writing that he should so proceed without being moved thereto by the competent authority ; or

(b) he is moved thereto by such authority.

4. Notice by Magistrate.—Before proceeding under clause (a) of rule 3, the Magistrate shall give written notice to the Commander of the accused and until the expiry of a period of :—

(i) three weeks, in the case of a notice given to a Commander in command of a unit or detachment located in any of the following areas, that is to say :—

Nagaland, Mizoram, Meghalaya and North Cachar Hill Districts of Assam, or

(ii) ten days in the case of a notice given to any other Commander in command of a unit or detachment located elsewhere in India, from the date of the service of such notice, he shall not,—

(a) convict or acquit the accused under section 252 or section 255 (1), (2) or section 256 or section 257 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or hear him in his defence under section 254 of the said Code ; or

(b) frame in writing a charge against the accused under section 246 of the said Code ; or

(c) make an order committing the accused for trial by the High Court or the Court of Sessions under section 192 of the said Code ; or

(d) transfer the case for inquiry or trial under section 192 of the said Code.

5. Procedure on notice to the Magistrate.—Where within the period mentioned in rule 4 above, or at any time thereafter before the Magistrate has done any act or made any order referred to in that rule, the Commander of the accused or the competent authority, as the case may be, gives notice to the Magistrate that in the opinion of such authority, the accused should be tried by a Security Guard Court, the Magistrate shall stay proceedings and if the accused is in his power or under his control, shall deliver him with the statement prescribed in sub-section (1) of section 475 of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974) to the authority specified in the said sub-section.

6. Procedure on notice to Magistrate before Commencement of trial.—Where a Magistrate has been moved by the competent authority under clause (b) of rule 3 and the Commander of the accused or the competent authority, as the case may be, subsequently gives notice to such Magistrate that, in the opinion of such authority the accused should be tried by a Security Guard Court, such Magistrate if he has not before receiving such notice, done any act or made any order referred to in rule 4, shall stay proceedings, and, if the accused is in his power or under his control, shall in the like manner deliver him, with the statement prescribed in sub-section (1) of section 475 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) to the authority specified in the said sub-section.

7. Intimation regarding trial of accused.—(1) When an accused has been delivered by the Magistrate under rule 5 or 6, the Commander of the accused or the competent authority, as the case may be, shall, as soon as may be, inform the Magistrate whether the accused has been tried by a Security Guard Court or other effectual proceedings have been taken or ordered to be taken against him.

LatestLaws.com

(2) When the Magistrate has been informed under sub-rule (1) that the accused has not been tried or other effectual proceedings have not been taken or not ordered to be taken against him the Magistrate shall report the circumstances to the State Government, which may, in consultation with the Central Government, take appropriate steps to ensure that the accused person is dealt with in accordance with law.

8. Reference to Central Government for determination of court of trial.—Notwithstanding anything contained in the foregoing rules, where it comes to the notice of a Magistrate that a person subject to the Act has committed an offence, proceedings in respect of which ought to be instituted before him and that the presence of such person cannot be procured except through the Commander or the competent authority, the Magistrate may, by a written notice, require the Commander of such person either to deliver such person to a Magistrate to be named in the said notice for being proceeded against according to law, or to stay the proceedings against such person before the Security Guard Court, if since instituted, and to make a reference to the Central Government for determination as to the Court before which proceedings should be instituted.

9. Delivery of accused to the Magistrate.—Where a person subject to the Act has committed an offence which, in the opinion of the competent authority ought to be tried by a Magistrate in accordance with the civil law in force or where the Central Government, on a reference mentioned in rule 8, decides that the proceedings against such person should be instituted before a Magistrate, the Commander of such person shall, after giving a written notice to the Magistrate concerned deliver such person under proper escort to that Magistrate.

[No. K-16011/4/86-NSG]

V. K. JAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987